भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 258

उत्तर देने की तारीख 24 जून, 2019

सोमवार, 03 □ षाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय कौशल विकास कोष की स्थापना

†258. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सरकारी निजी सहभागिता के माध्यम से कुशल श्रमिकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और उन्हें अवसंरचनात्मक सुविधएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कोष स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके या उनकी वर्तमान कौशल स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित हितधरकों से उनके योगदान के संबंध में परामर्श लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री □ र. के. सिंह)

(क) से (घ) राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) की स्थापना भारत सरकार, राज्य सरकारों, व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय दान दाताओं, स्वायत्त संगठनों, विधि निकायों, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघों, संस्थानों, न्यासों या गैर-सरकारी संगठनों, जो सरकार के माध्यम से धन प्रदान करना पसंद करेंगे, के वित्तीय अंशदानों के धन से गृहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए 23 दिसंबर, 2008 को सरकार के पूर्ण स्वामित्व में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत एक न्यास के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), जो निजी नियंत्रणाधीन अलाभकर निजी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) कंपनी है, के माध्यम से विभिन्न सेक्टर विशेष राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुरूपित कार्यक्रमों द्वारा भारतीय युवा बल के कौशलों को बढ़ाना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना है। इस न्यास का प्रबंधन सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

****